अटल पेंशन योजना (एपीवाई) – अभिदाता पंजीकरण फार्म

(पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अभिशासित)

सेवा

शाखा प्रबंधक, _____ बैंक _____ शाखा

महोदय/महोदया,

मैं यह अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत निम्न ब्यौरे के अनुसार मेरे नाम से एक एपीवाई खाता खोला जाए:

*** अनिवार्य रूप से भरा जाए। कृपया फार्म स्पष्ट अक्षरों में भरें।**

1. बैंक का ब्यौरा:

बैंक खाता सं.*

बैंक का बैंक शाखा*

2, व्यक्तिगत ब्यौरा:

आवेदक का नाम श्री **श्रीमती** कुमारी

पूरा नाम

जन्म तिथि* / / आयु मोबाइल नं.

ई-मेल आईडी **आधार**

विवाहित **हां** **नहीं** **यदि विवाहित है,** तो पति/पत्नी का नाम

पति/पत्नी का नाम आधार

नामिती का नाम आधार

अभिदाता के साथ नामिती का संबंध

यदि नामिती अवस्यक हो, तो अतिरिक्त ब्यौरा

जन्म तिथि / /

अभिभावक का नाम

क्या अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं **हां** **नहीं**

क्या आयकर दाता हैं **हां** **नहीं**

3, पेंशन ब्यौरा

पेंशन राशि (कृपय सही का निशान 1000 2000 3000 4000 5000

अंशदान राशि (मासिक)

(रु. में]

(बैंक द्वारा भरा जाना है)

मैं एतद्वारा एपीवाई के अंतर्गत अपनी आयु तथा अपने द्वारा चयनित पेंशन राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु तक भुगतान करने के लिए अपने उपर्युक्त बैंक खाते से नामे डालने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।

यदि अंतरण में विलंब होता है या अपर्याप्त शेष राशि के कारण अंतरण नहीं हो पाता है तो मैं इसके बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी। मैं अतिरिक्त राशि तथा उस पर जुर्माने को जमा करने की भी शपथ लेता/लेती हूँ

सभी अभिदाताओं द्वारा घोषणा तथा प्राधिककार

मैं एपीवाई के अंतर्गत सहायता के निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता/करती हूँ तथा मैंने योजना की शर्तों को पढ़ लिया है तथा इसे समझ लिया है। मैं एतद्वारा इससे सहमत हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे प्रस्तुत की गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास सही है। मैं प्रस्तुत की गई उपर्युक्त सूचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना बैंक को तत्काल देने का वचन देता/देती हूँ। इसके अलाव, एनपीएस के अंतर्गत पहले से मेरा कोई अन्य खाता नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि किसी भी गलत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी। मैंने एपीवाई दिशानिर्देशों को पढ़ लिया/मुझे इसकी जानकारी दी गई है तथा मैंने इसको समझ लिया है। इसके अलावा मैं पीएफआरडीए/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार योजनाओं के अंतर्गत सेवाओं की शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ।

तिथि / / **अभिदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

स्थान (* पुरूष के मामले में बायें तथा महिला के माले में दाएं अंगूठे का निशान)

पावती- अटल पेंशन योजना एपीवाई के लिए अभिदाता पंजीकरण

(बैंक द्वारा भरा जाना है)

अभिदाता का नाम:

पीआरएएन संख्या

गारंटीशुदा पेंशन राशि **अंशदान की अवधि** **मासिक**

एपीवाई के अंतर्गत मासिक अंशदान राशि

(रु. में)

बैंक का नाम:	
बैंक शाखा:	
प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम:	

आवेदन प्राप्त करने की तारीख:		**बैंक की मोहर तथा हस्ताक्षर**

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) - योजना का विवरण

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार कामगार गरीब की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित है और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने तथा समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के बीच दीर्घ जीवन संबंधी जोखिम का समाधान करने तथा उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत, जो 2011-12 के एनएसएसओ सर्वे के 66वें राउंड के अनुसार 47.29 करोड़ के कुल श्रम बल का 88% बनता है, परंतु जिनके लिए कोई औपचारिक पेंशन प्रावधान नहीं है, हेतु असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2010-11 में स्वावलम्बन योजना की शुरुआत की है। तथापि, मुख्य रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभों की स्पष्टता के अभाव के कारण स्वावलम्बन योजना के तहत कवरेज अपर्याप्त है।

1.2. सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट में समस्त भारतीयों, विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्गों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सार्वभौमिक, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरूआत की घोषणा की थी। इसलिए यह घोषणा की गई है कि सरकार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू करेगी जो कि अंशदान तथा उसकी अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी। अटल पेंशन योजना का असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होते हैं तथा जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं, पर केंद्रित होगी। अटल पेंशन योजना के तहत, अभिदाता अपने अंशदान जो एपीवाई में शामिल होने की आयु के लिए अलग-अलग होगा, के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रूपये प्रति माह, 2000 रूपये प्रति माह, 3000 रूपये प्रति माह, 4000 रूपये प्रति माह का निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अत: एपीवाई के तहत अंशदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। निर्धारित पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। एपीवाई की शुरूआत 1 जून, 2015 से की जाएगी।

2. एपीवाई के लाभः

2.1 अभिदाताओं को 1000 रूपये से 5000 रूपये के बीच में निर्धारित पेंशन, यदि वह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के भीतर शामिल होता है तथा अंशदान करता है। अंशदान स्तर भिन्न होंगे तथा यदि अभिदाता शीघ्र शामिल होता है तो वे कम होंगे तथा देर से शामिल होने पर वे बढ़ जाएंगे।

3. एपीवाई की पात्रताः

3.1 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। केन्द्र सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो 1 जून, 2015 तथा 31 दिसम्बर, 2015 के बीच की अवधि में एनपीएस में शामिल होते हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य न हों तथा जो आय कर दाता न हों, के खातों में 5 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, कुल अंशदान का 50% या 1000/- रूपये, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। स्वावलंबन योजना के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग वाले अभिदाता यदि इस योजना से बाहर निकलने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं, तो वे स्वत: एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे। तथापि, इस तिथि के बाद योजना चलती रहेगी लेकिन सरकार का सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।

4. शामिल होने की आयु तथा अंशदान अवधिः

4.1 एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। छोड़ने तथा पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी। इस प्रकार, एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी।

5. एपीवाई का फोकसः

5.1 मुख्यतया असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर लक्षित है।

6. नामांकन तथा अभिदाता भुगतानः

6.1 पात्र श्रेणी के अंतर्गत स्वत: नामे सुविधा वाले खातों के सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं जिसके परिणास्वरूप अंशदान संग्रहण प्रभारों में कमी आयेगी। देरी से भुगतान हेतु दंड से बचने के लिए अभिदाताओं को विनिर्धारित देय तिथियों पर उनके बचत खातोंमें अपेक्षितशेष राशि रखनी चाहिए। मासिक अंशदान भुगतान हेतु देय तिथियों की गणना पहली अंशदान राशि को जमा करने के आधार पर की जाती है। यह विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बार-बार चूककरने के मामले में खाते को पहले बंद किया जा सकता है तथा भारत सरकार के सह-अंशदान, यदि कोई हो, को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उसकी पात्रता के बारे में किसी गलत/झूठी घोषणा, भले ही किसी कारण से हो, करने पर सरकार के समग्र अंशदान को दंडात्मक ब्याज सहित जब्त कर लिया जाएगा। नामांकन हेतु दीर्घावधि में पेंशन अधिकारों तथा पात्रता संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, पति-पत्नी तथा नामितियों की पहचान हेतु, आधार मूलभूत केवाईसी दस्तावेज होगा। अभिदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 1000 रूपये - 5000 रूपये तक मासिक पेंशन हेतु विकल्पदें तथा नियमित रूप से विनिर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करें। संचय चरण के दौरान अभिदाता उपलब्ध मासिक पेंशन राशियों के

अनुरूप पेंशन को घटाने अथवा बढ़ाने का विकल्प दे सकते हैं। तथापि, परिवर्तन (स्विचिंग) विकल्प वर्ष में केवल 1 बार, अप्रैल माह में, प्रदान किया जाएगा। एपीवाई से जुड़ने के उपरांत प्रत्येक अभिदाता को पावती पर्ची प्रदान की जाएगी जिसमें गारंटी शुदा पेंशन राशि, अंशदान भुगतान की देय तिथि, पीआरएएन इत्यादि अनिवार्य रूप से रिकार्ड किया जाएगा।

7. नामांकन एजेंसियां:

7.1 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत सभी उपस्थिति बिंदु (सेवा प्रदाता) तथा एग्रीगेटर नेशनल पेंशन प्रणाली के ढांचे के माध्यम से अभिदाताओं को नामांकित करेंगे। बैंक पीओपी अथवा एग्रीग्रेटरों के रूप में परिचालन गतिविधियों हेतु सक्षमकर्ताओं के रूप में बीसी/विद्यमान गैर बैंकिंग एग्रीग्रेटरों,सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं, तथा म्युचुअल फंड एजेंटों की सेवाएं ले सकेंगे।

8. एपीवाई का संचालन ढांचाः

8.1 यह भारत सरकार की योजना है जिसका संचालन पेंशन निधि विनियामकीय तथा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के नामांकन के लिए एनपीएस के संस्थागत ढांचे का उपयोग किया जाएगा।

9. एपीवाई का निधियनः

9.1 सरकार (i) अभिदाताओं के लिए निर्धारित पेंशन की गारंटी; (ii) पात्र अभिदाताओं के लिए अभिदाता अंशदान का 50% अथवा 1000 रूपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान; तथा (iii) एपीवाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु अंशदान संग्रहण एजेंसियों को प्रोत्साहन सहित संवर्धन एवं विकास गतिविधियों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी।

10. स्वावलम्बन योजना के विद्यमान अभिदाताओं का एपीवाई में स्थानांतरण

10.1 स्वावलम्बन के विद्यमान अभिदाता, यदि पात्र हो, तो छोड़ने का विकल्प देने पर उन्हें स्वत: ही एपीवाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। तथापि, सभी अभिदाताओं हेतु एपीवाई के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए सरकार के सह-अंशदान का लाभ 5 वर्ष से अधिक

नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि स्वावलम्बन लाभार्थी के रूप में उसने सरकारी सह-अंशदान का 1 वर्ष का लाभ प्राप्त कर लिया है तो एपीवाई के अंतर्गत उसे सरकारी सह-अंशदान का लाभ केवल 4 वर्षों के लिए मिलेगा तथा इस प्रकार होगा। विद्यमान स्वावलम्बन लाभार्थी जो कि प्रस्तावित एपीवाई छोड़ने का विकल्प देते हैं उन्हें उनके पात्र होने पर सरकारी सह-अंशदान 2016-17 तक दिया जाएगा तथा एनपीएस स्वावलम्बन तब तक चलेगी जब तक ऐसे लोग योजना के अंतर्गत उसे छोड़ने हेतु आयु पूरी कर लेते हैं।

10.2 18-40 वर्ष की आयु के बीच के स्वावलम्बन के विद्यमान अभिदाताओं को एपीवाई में स्वत: स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नई योजना में झंझट रहित स्थानांतरण हेतु संबद्ध एग्रीग्रेटर ऐसे अभिदाताओं की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने हेतु सुकर बनाएंगे। अपने स्वावलम्बन खाते को एपीवाई में शिफ्ट करने हेतु ऐसे अभिदाता अपने पीआरएएन विवरणों के साथ नजदीकी प्राधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

10.3 वे स्वावलम्बन अभिदाता जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं और योजना को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं, एक मुश्त रूप में समग्र राशि का आहरण कर सकते हैं अथवा उसके अंतर्गत वार्षिकियों हेतु **पात्र बनने के लिए 60 वर्षों तक चालू रखने को कह/आवेदन कर सकते हैं।**

11. चूक हेतु दंड

11.1 एपीवाई के अंतर्गत, व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास मासिक आधार पर अंशदान देने का विकल्प होगा। देर से हुए भुगतानों हेतु बैंकों को अतिरिक्त राशि संग्रह करवाना अपेक्षित होता है। ऐसी राशि न्यूनतम 1 रूपये प्रतिमाह से 10 रूपये प्रतिमाह के बीच होती है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

* 100 रूपये प्रतिमाह के अंशदान हेतु	1 रूपये प्रतिमाह
* 101 रूपये से 500 रूपये	2 रूपये प्रतिमाह
* 501 रूपये से 1000 रूपये	5 रूपये प्रतिमाह
* 1001 रूपये से ज्यादा	10 रूपये प्रतिमाह

ब्याज/दंड की निर्धारित राशि अभिदाता के पेंशन कारपस का भाग बनेगी।

11.2 अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करने से निम्नलिखित होगा :

* 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
* 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
* 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

12. देरी से किए गए भुगतानों हेतु अतिरिक्त राशि प्रभारित करना

12.1 एपीवाई माड्यूल में देय तिथि पर मांग होगी तथा अभिदाता के खाते से राशि वसूल हो जाने तक मांग बनी रहेगी।

12.2 कैलेण्डर माह में प्रत्येक अभिदाता हेतु मासिक अंशदान की वसूली हेतु देय तिथि को पहला दिन/अथवा अन्य दिन माना जाएगा। बैंक राशि को महीने के अंतिम दिन तक किसी भी दिन वसूल कर सकेगा। इसका अर्थ यह होगा कि माह के दौरान किसी भी दिन निधियां उपलब्ध होते ही अंशदान की वसूली की जाएगी।

12.3 मासिक अंशदान राशि की वसूली एफआईएफओ आधार पर की जाएगी- उक्त प्रभारों की निर्धारित राशि के साथ ही सबसे पहले देय किश्त की वसूली की जाएगी।

12.4 निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन एक मास में एक मासिक अंशदान से अधिक किश्त वसूल की जा सकती है। मासिक अंशदान को मासिक निर्धारित प्रभारों के साथ, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा। सभी मामलों में अंशदान को निर्धारित प्रभारों के साथ वसूल किया जाना होता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि खाते में निधियों की उपलब्धता होते ही वसूल की जाएगी।

13. एपीवाई के अंतर्गत अंशदानों का निवेश

13.1 एपीवाई के अंतर्गत संग्रहित राशि का प्रबंधन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाएगा।

14. अभिदाताओं को सतत सूचना एलर्ट

14.1 एपीवाई अभिदाताओं को उनके खाते में शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि के संबंध में आवधिक सूचना एसएमएस एलर्ट के माध्यम से सूचित की जाएगी। अभिदाताओं को जब कभी अपेक्षित हो गैर-वित्तीय विवरण जैसे नामिती का नाम, पता, टेलीफोन संख्या इत्यादि को बदलने का विकल्प होता है।

14.2 एपीवाई के अंतर्गत सभी अभिदाता अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं ताकि उनका अभिदान करते समय, उनके खातों का स्वत: नामित तथा उनके खातों की शेष राशि के एसएमएस एलर्ट उपलब्ध कराए जा सकें।

15. छोड़ना तथा पेंशन भुगतान

15.1 60 वर्ष पूरा करने के उपरांत अभिदाता गारंटीशुदा मासिक पेंशन आहरित करने हेतु संबद्ध बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

15.2 60 वर्ष की आयु से पहले छोड़ने की अनुमति नहीं है, तथापि, उसकी अनुमति केवल अपवादिक परिस्थितियों, अर्थात् लाभार्थी की मृत्यु अथवा लाइलाज बीमारी होने पर दी जाएगी।

16. शामिल होने की आयु, अंशदान स्तर, निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामिति को कारपस राशि लौटाना

अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका नीचे दी गई है। उदाहरणार्थ, 1000 रूपये प्रतिमाह तथा 5000 रूपये के बीच की निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अभिदाता को, यदि वह 18 वर्ष की आयु में शामिल होता है तो 42 तथा 210 रूपये के बीच, मासिक आधार पर अंशदान करना होगा। उसी निर्धारित पेंशन स्तरों के लिए, यदि अभिदाता 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है, तो अंशदान 291 रूपये तथा 1454 रूपये के भीतर होगा।

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 1000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	42	1,000	1.7 लाख
20	40	50	1,000	1.7 लाख
25	35	76	1,000	1.7 लाख
30	30	116	1,000	1.7 लाख
35	25	181	1,000	1.7 लाख
40	20	291	1,000	1.7 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 2000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	84	2,000	3.4 लाख
20	40	100	2,000	3.4 लाख
25	35	151	2,000	3.4 लाख
30	30	231	2,000	3.4 लाख
35	25	362	2,000	3.4 लाख
40	20	582	2,000	3.4 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 3000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)

			(रूपये में)	
18	42	126	3,000	5.1 लाख
20	40	150	3,000	5.1 लाख
25	35	226	3,000	5.1 लाख
30	30	347	3,000	5.1 लाख
35	25	543	3,000	5.1 लाख
40	20	873	3,000	5.1 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 4000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	168	4,000	6.8 लाख
20	40	198	4,000	6.8 लाख
25	35	301	4,000	6.8 लाख
30	30	462	4,000	6.8 लाख
35	25	722	4,000	6.8 लाख
40	20	1164	4,000	6.8 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नि को 5000 रूपये प्रतिमाह की निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कारपस राशि का लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिति को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का संकेतिक विवरण (रूपये में)
18	42	210	5,000	8.5 लाख
20	40	248	5,000	8.5 लाख
25	35	376	5,000	8.5 लाख
30	30	577	5,000	8.5 लाख
35	25	902	5,000	8.5 लाख
40	20	1,454	5,000	8.5 लाख

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)-अटल पेंशन योजना

1. पेंशन क्या है? मुझे उसकी आवश्यकता क्या है?

पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब वे कोई अर्जन नहीं कर रहे होते। पेंशन की आवश्यकता :

- आयु के साथ आय अर्जन सम्भावना/क्षमता का घट जाना
- एकल परिवारों में वृद्धि-अर्जक सदस्यों का पलायन (छोड़कर चले जाना)
- जीवनस्तर का महंगा होना
- चिरायु होना

निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित करती है।

2. अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना[1](एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रूपये, 2000/- रूपये, 3000/- रूपये, 4000/- रूपये और 5000/- रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

3. एपीवाई का अभिदान कौन कर सकता है?

भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

(i) अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ii) उसका एक बचत बैंक खाता होना चाहिए/उसे एक बैंक बचत बैंक खाता खोलना चाहिए।
(iii) सम्भावित आवेदक के पास मोबाइल नम्बर होना चाहिए तथा उसका विवरण पंजीकरण के दौरान बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

- उन अभिदाताओं के लिए जोकि योजना में 1 जून, 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान शामिल होते हैं तथा जो किसी अन्य

सांविधिक, सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा कवर नहीं होते हैं और आयकरदाता नहीं हैं, के लिए सरकार का सह-अंशदान 5 वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक उपलब्ध है।

4. एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी कौन नहीं है?

सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

i.कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
ii.कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
iii.नाविक भविष्य - निधि अधिनियम, 1966
iv.दि असम टी प्लांटेशनस प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड स्कीम एक्ट, 1955
v.जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961
vi.कोई अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना

5. एपीवाई के तहत कितनी पेंशन मिलेगी?

अभिदाताओं द्वारा अंशदानों के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रूपये, 2000/- रूपये, 3000/- रूपये, 4000/- रूपये और 5000/- रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

6. एपीवाई योजना में शामिल होने पर क्या लाभ है?

एपीवाई में सरकार 1 जून, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान योजना में शामिल हुए पात्र एपीवाई खाता धारकों को कुल अंशदान का 50% अर्थात् 1000/- रूपये प्रतिमाह में जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

7. एपीवाई के अंशदान कैसे निवेश किया जाता है?

एपीवाई के अंतर्गत अंशदान का वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिदेशों के अनुसार किया जाता है।

8. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

i बैंक शाखा से सम्पर्क करें जहां पर व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।
ii एपीवाई पंजीकरण प्रपत्र भरें।
Iii आधार/मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं।
Iv मासिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।

9. क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार नम्बर अनिवार्य है?

एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। तथापि, नामांकन के लिए दीर्घावधि में पेंशन अधिकार तथा हकदारी से संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, उसके पति/पत्नी एवं नामितियों की पहचान के लिए आधार मुख्य के वाई सी दस्तावेज होगा।

10. क्या मैं बचत बैंक खाता के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं?

नहीं। एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।

11. खाते में अंशदान का क्या तरीका है?

सभी अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाता से स्वत: नामे सुविधा के जरिए मासिक विप्रेषित किए जाने हैं।

12. मासिक अंशदान की देय तिथि क्या है?

मासिक अंशदान की देय तिथि एपीवाई में अंशदान को जमा करने की आरम्भिक तारीख के अनुसार होगी।

13. देय तिथि को अंशदान के लिए बचत बैंक खाते में अपेक्षित अथवा पर्याप्त राशि बनाए न रखने पर क्या होगा?

विनिर्दिष्ट तारीख को अंशदान के लिए बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि न बनाए रखना चूक माना जाएगा। बैंकों को विलम्ब से किए गए भुगतान की अतिरिक्त राशि एकत्र करना अपेक्षित है, ऐसी राशि न्यूनतम 1/- रूपया प्रतिमाह से 10/- रूपया प्रतिमाह निम्नानुसार भिन्न होगी :

i 100/- रूपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 1/- रूपया प्रतिमाह

ii 101/- रूपये से 500/- रूपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 2/- रूपया प्रतिमाह

Iii 501/- रूपये से 1000/- रूपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 5/- रूपया प्रतिमाह

Iv 1001/- रूपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 10/- रूपया प्रतिमाह

अंशदान राशि का भुगतान बंद कर दिए जाने से निम्नलिखित होगा:-

* 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
* 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
* 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

अभिदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते में अंशदान राशि के स्वत: नामे डालने के लिए पर्याप्त निधि हो।

ब्याज/दंड की निर्धारित राशि अभिदाता के पेंशन कारपस के भाग के रूप में बनी रहेगी।

14. मुझे 1000/- रूपये की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करने के लिए एपीवाई में कितना निवेश करना चाहिए।

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रूपये में)
18	42	42
20	40	50
25	35	76
30	30	116
35	25	181

40	20	291

अंशदाता के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के द्वारा मासिक आधार पर सभी प्रकार की अंशदान राशि प्रेषित कर दी जाएगी।

15. योजना में शामिल होते समय क्या नामांकन देना भी जरूरी है?

हां, एपीवाई खाते में नामिति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। पति/पत्नी का ब्यौरा भी, जहां लागू हो, देना अनिवार्य है। उनके आधार-कार्डों का ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया जाए।

16. मैं कितने एपीवाई खाते खोल सकता/सकती हूं?

कोई भी अंशदाता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और यह एकमात्र होगा।

17. क्या ऐसा कोइ विकल्प होगा, जिसमें उच्चतर अथवा निम्नतर पेंशन खाते के लिए मासिक अंशदान की राशि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकेगा।

संचयन चरण के दौरान अंशदाता अपने पास उपलब्ध मासिक पेंशन राशि के अनुसार अपने पेंशन राशि को बढ़ाने एवं घटाने का विकल्प ले सकता है। तथापि, वर्ष में केवल एक बार अप्रैल माह के दौरान ही यह विकल्प उपलब्ध होगा।

18. एपीवाई से राशि आहरण की प्रक्रिया क्या है?

(क) 60 वर्ष की आयु होने पर

एपीवाई योजना के अंतर्गत उक्तानुसार आयु होने पर ही पेंशन के 100% वार्षिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तदनन्तर अंशदाता को पेंशना प्राप्त होगी।

(ख) किसी भी कारण से अंशदाता की मृत्यु के मामले में

अंशदाता की मृत्यु पर संबंधित पेंशन उसकी पत्नी/पति को मिलेगी तथा दोनों की (अंशदाता और पति/पत्नी) की मृत्यु होने पर पेंशन राशि उनके नामिति को लौटा दी जाएगी।

(ग) 60 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले योजना छोड़ना

60 वर्ष की आयु से पहले ही योजना को छोड़ने की अनुमति केवल अपवादात्मक परिस्थितियों यथा लाइलाज बीमारी अथवा हिताधिकारी की मृत्यु पर ही अनुमति दी जाएगी।

19. मैं अपने अंशदान के बारे में कैसे जान सकूंगा/सकूंगी?

अंशदाता को समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर अंशदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। अंशदाता को खाते की विवरणी की प्रति भी प्रेषित की जाएगी।

20. क्या मुझे अपने लेन-देन की विवरणी प्राप्त होगी?

हां, एपीवाई खाते की आवधिक विवरणी अंशदाता को उपलब्ध करवायी जाएगी।

21. यदि मैं अपना आवास/शहर बदल कर कहीं और जाता/जाती हूं तो मैं अपने एपीवाई खाते में अपना अंशदान कैसे कर सकूंगा/सकूंगी?

स्थान परिवर्तन की स्थिति में अंशदान की राशि ऑटो डेबिट द्वारा निरंतर प्रेषित की जाती रहेगी।

22. स्वावलम्बन योजना के वर्तमान अंशदाताओं का क्या होगा?

स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 18-40 वर्ष की आयुवर्ग वाले सभी पंजीकृत अंशदाता स्वत: एपीवाई योजना में चयन के विकल्प के आधार पर शामिल हो जाएंगे। तथापि, एपीवाई के अंतर्गत सरकार के पांच वर्ष के सह-अंशदान के लाभ स्वावलम्बन योजना के अंशदाताओं को पहले से ही प्राप्त अंशदान राशि की मात्रा के अनुसार मिलेंगे। यदि स्वावलम्बन हिताधिकारी ने सरकार के सह-अंशदान के 1 वर्ष के लाभ को प्राप्त किया हो तो एपीवाई के तहत सरकार के सह-अंशदान का लाभ 4 वर्ष अथवा उसी प्रकार से प्रदान किया

जाएगा। वर्तमान स्वावलम्बन हिताधिकारियों द्वारा प्रस्तावित एपीवाई के विकल्प को न अपनाने की स्थिति में सरकार का सह-अंशदान केवल वर्ष 2016-17 तक ही दिया जाएगा। पात्र होने की स्थिति में एपीवाई स्वावलम्बन तब तक जारी रहेगा जब तक इस योजना के तहत हिताधिकारी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती।

40 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग वाले ऐसे अंशदाता जो इस योजना में शामिल नहीं रहना चाहते हो, वे इस योजना के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त करके इसे छोड़ सकते हैं।

40 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग वाले अंशदाता 60 वर्ष की आयु होने तक इसे जारी रख सकते हैं और वार्षिकी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान स्वावलम्बन योजना को स्वत: एपीवाई में शामिल कर लिया जाएगा।